

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board)

S.No. PC-VI/17
No. PC-V/2008/A/O/1(NPA)


RBE No. 122/2008
New Delhi, dated 22. 9.2008

The General Managers
All Indian Railways & PUs.
(As per mailing list)

Sub: Recommendations of VI CPC - Grant of Non Practising Allowance (NPA)
at revised rates to IRMS officers

The Sixth Central Pay Commission has recommended that Doctors should continue to be paid Non-Practising Allowance at the existing rate of 25% of the aggregate of the band pay and grade pay subject to the condition that the Basic Pay + NPA does not exceed Rs.85000/-. Consequent upon acceptance of recommendations of the Sixth Central Pay Commission by the Government, the President is pleased to decide that, in modification of this Ministry's letter No. PC-V/97/I/7/15 dated 31.3.1998, the Non-Practising Allowance may continue to be paid at the existing rate of 25% of Basic Pay subject to the condition that the Basic Pay + NPA does not exceed Rs.85000/-.

2. The term "basic pay" in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay but does not include any other type of pay like special pay, etc. In the case of Government servants in the pay scales of HAG + and above, basic pay means the pay in the prescribed scale.
3. The revised rate of NPA would be effective from the date an employee draws pay in the revised scale applicable to him in accordance with the provisions of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.
4. The NPA should be restricted to those Medical Posts for which a Medical qualification recognized under the Indian Medical Council Act, 1956 or under the Dentists Act, 1948 has been prescribed as an essential qualification.
5. The Non-Practising Allowance will be treated as pay for the purpose of computing Dearness Allowance, entitlement of Traveling Allowance and other allowances as well as for calculation of retirement benefits.
6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.
7. Hindi version is enclosed.


(N.P. Singh)
Deputy Director, Pay Commission-V
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्रम सं. पी सी-VI/7
सं. पी सी-V/2008/ए/ओ/1 (एन पी ए)


आर बी ई सं. 122/2008
नई दिल्ली, दिनांक : 22.9.2008

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - भारतीय रेल चिकित्सा सेवा अधिकारियों को संशोधित दरों पर प्रैक्टिस बंदी भत्ता प्रदान करना.

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि डॉक्टरों को प्रैक्टिस बंदी भत्ता बैंड वेतन और ग्रेड वेतन के कुल जोड़ के मौजूदा दर के 25% पर प्रदान करना जारी रखा जाए बशर्ते मूल वेतन+एन पी ए 85000 रु. से अधिक न हो. सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के सिफारिशों को स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी सहर्ष यह विनिश्चय करते हैं कि इस मंत्रालय के 31.3.1998 के पत्र सं. पी सी-V/97/II/7/15 के आशोधन में, प्रैक्टिस बंदी भत्ता मूल वेतन के 25% के मौजूदा दर पर प्रदान करना जारी रखा जाए बशर्ते मूल वेतन+एन पी ए 85000 रु. से अधिक न हो.

2. संशोधित वेतन ढांचे में "मूल वेतन" शब्द का अर्थ निर्धारित वेतन बैंड में आहरित वेतन जमा प्रयोज्य ग्रेड वेतन है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन इत्यादि शामिल नहीं है. उच्च प्रशासनिक ग्रेड+और ऊपर के वेतनमानों में सरकारी कर्मचारियों के मामले में, मूल वेतन का अर्थ निर्धारित वेतनमान में वेतन है.
3. रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार एन पी ए की संशोधित दर कर्मचारी द्वारा उस पर लागू संशोधित वेतनमान में वेतन आहरित करने की तारीख से लागू होगी.
4. एन पी ए को उन मेडिकल पदों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा जिसके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत या दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 के मान्यताप्राप्त मेडिकल अर्हता को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया है.
5. प्रैक्टिस बंदी भत्ते को मंहगाई भत्ते, यात्रा भत्ते की पात्रता और अन्य भत्तों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के उद्देश्य से वेतन के रूप में माना जाएगा.
6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.


(एन.पी. सिंह)
उ.नि.वे.आ.-V
रेलवे बोर्ड.